न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 55/2020 दायर दिनांक–19–03–2020

फूलचन्द पुत्र भागीरथ जाति अहीर निवासी खेसवा की ढाणी तन चौढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

– वादी

बनाम

1. शीशपाल दतक पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी ग्राम बिलवा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. भूमि धारक तहसीलदार नवलगढ़, तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

–प्रतिवादीगण

वकील वादी : – **श्री राजेन्द्र प्रसाद आर्य**
वकील प्रति. नं. :– —

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड एवं स्थाई निषेधाज्ञा
अ.धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक– 12.01.2022

वाद–पत्र के संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि:– वादी ने एक वाद पत्र इस कदर पेश प्रस्तुत किया कि ग्राम पुजारी की ढाणी पटवार हल्का पुजारी की ढाणी की जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 में दर्ज खाता संख्या 306 पुराना खाता संख्या 295 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1032, 1033, 1105 कुल किता 10 कुल रकबा 5.15 हैक्टर ग्राम पूजारी की ढाणी तहसील नवलगढ की सरहद में स्थित है जिसमें दर्ज अनुसार 1/8 हिस्से का रिकार्डेड सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 अकेला था एवं जमीन के कब्जे काश्त मे था।

प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अपना हिस्सा 1/8 का विक्रय वादी को करके इसका रजिस्टर्ड बिचौती पत्र वादी के नाम से उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ में दिनांक 01.01.2016 को पंजीबद्ध करवा दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर उसके 1/8 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 1083 दिनांक 20.02.2016 को दर्ज होकर इस 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के स्थान पर वादी के नाम से आ गई एवं वादी इस भूमि का रिकार्डेड खातेदार बन गया।

क्योंकि प्रतिवदी नम्बर 1 ने अपने हिस्से की भूमि उपर वर्णित अनुसार वादी को विधि संगत तरीके से विक्रय कर दी इस कारण वह निश्चित हो गया कि उसका इस जमीन में कोई हिस्सा नही है प्रतिवादी नम्बर 1 को वादी द्वारा कहने पर अब मालूम चला कि दावा उनानी कुरडाराम बनाम फूलचन्द वगैरह (यह दावा दिनांक 16.05.2008 को संस्थापित किया गया था) मुकदमा नम्बर 62/2008 निर्णय दिनांक 26.09.2014 अन्तिम निर्णय/डिक्री दिनांक 12.12.2015 को होकर इस निर्णय अनुसार नई जमाबंदी बन गयी जो गलत बनी है। प्रतिवादी नम्बर 01 की तामील भी गलत करवाई गई है क्योंकि प्रतिवादी नम्बर 1 ने तो अपने 1/8 हिस्से की विवादित भूमि का विक्रय पत्र वादी के नाम से करवा दिया इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 को कोई हित भी उसके अनुसार विवादित भूमि में नही रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:09 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (फा. ट्रे.)
नवलगढ़

(५)

नया रिकार्ड जो कायम किया गया उसका प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1032, 1105 कुल किता 9 कुल रकबा 3.91 हैक्टर मे से 2/48 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से दर्ज किया गया जो जमीन वादी की है क्योंकि वादी ने खसरा नम्बर 1001 से 1005 तक एवं खसरा नम्बर 1007, 1008, 1032, 1105 कुल किता 09 कुल रकबा 3.91 हैक्टर में से 1/8 हिस्सा यानि कि 0.64375 हैक्टर भूमि खरीदी थी लेकिन इस गलत रिकार्ड के कारण वादी को अब हिस्सा 1/8 के स्थान पर पुनः उसके नाम से हिस्सा 7/48 यानि 0.5702 हैक्टर भूमि ही खसरा नम्बर 1001 से 1005 तक एवं खसरा नम्बर 1007, 1008, 1032, 1105 कुल किता 09 कुल रकबा 3.91 हेक्टर मे दर्ज किया गया है।

वादी अपनी खरीदी गई भूमि में 0.64735–0.5702 = 0.0735 हैक्टर भूमि पर अपने अधिकार सुरक्षित रखते हुये जो नया रिकार्ड जमाबदी सम्वत् 2075 से 2078 तक में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1001 से 1005 तक एवं खसरा नम्बर 1007, 1008, 1032, 1105 कुल किता 9 कुल रकबा 3.91 हैक्टर स्थित सरहद में ग्राम पुजारी की ढाणी मे हिस्सा 7/48 प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम दर्ज किया गया है वह न्यायहित में वादी के नाम दर्ज होना चाहिए क्योकि प्रतिवादी नम्बर 1 तो अपनी हिस्से की जमीन वादी को दिनांक 01.01.2016 को ही विक्रय कर दी थी वह भूमि का कब्जा उसी वक्त दे दिया जो कब्जा आज भी वादी के पास ही है। वादी को दिनांक 13.12.2019 को जमाबंदी की नकल लेने पर गलत रिकार्ड की जानकारी होने पर वादी ने यह दावा पेश किया है।

बिनाय मुखासमत दावा हाजा वासते दुरूस्ती रिकार्ड दिनांक 13.12.2019 को विवादित भूमि की जमाबंदी की नकल वादी को मिलने पर गलत रिकार्ड की जानकारी होने पर बमुकाम ग्राम पूजारी की ढाणी अदालत हाजा के अधिकार क्षैत्र में पैदा हुआ। विवादित भूमि एवं उभय पक्षकारान निवास स्थान अदालत हाजा के अधिकार क्षै में स्थित होने के कारण दावा न्यायालय को सुनने का पूर्ण अधिकार हैं। दावा वास्ते घोषणार्थ एवं रिकार्ड दुरूस्ती का होने पर पूर्ण दावा 2/– कोर्ट फीस पर पेश है।

वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि घोषणा आशय की फरमाई जावे कि भूमि खसरा नम्बर 1001 से 1005 तक एवं खसरा नम्बर 1007, 1008, 1032, 1105 कुल किता 09 कुल रकबा 3.91 हैक्टर स्थित सरहद ग्राम पुजारी की ढाणी तहसील नवलगढ में 7/48 हिस्से की भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से दर्ज है, उसके स्थान पर यह रकबा वादी के नाम से दर्ज कर इसकी खातेदारी वादी के नाम उद्घोषित की जाकर तद्नुसार रिकार्ड में दुरूस्ती के लिए तहसील नवलगढ को आदेशित किया जावे। यह अन्य कोई सिद्धि जो चाही जाने से रह गई हो व वादी के पक्ष में हो वह भी वादी को दिलवाई जावे।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। प्रतिवादी नम्बर 01 स्वयं प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 कैम्प कोर्ट पूजारी की ढ़ाणी उपस्थित होकर अपना इकबालिया जवाब दावा पेश कर वादी के वाद पत्र को स्वीकार किया गया है। साथ ही उक्त दिवस को राजीनामा भी पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया हैं। प्रतिवादी नम्बर 02 की तलबी सम्यक रूप से होने के फलस्वरूप इनकी ओर से कोई भी उपस्थित नही होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश करने एवं प्रतिवादी नम्बर 02 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने पर प्रकरण में विवाद्यक बिन्दु बनाये जाने की आवश्यक नही रहती है।

शहादत वादी में वादी फूलच[illegible] पेश किये गये। जो बाद तस्दीक शामिल किये गये। तत्पश्चात पक्षकारान द्वारा न्यायालय हा[illegible]थत हो अपना राजीनामा जो पूर्व मे इस कदर पेश किया किया कि वाद पत्र की म[illegible] ग्राम पूजारी की ढाणी तहसील नवलगढ में मेरा जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 में [illegible] अनुसार हिस्सा 1/8 था जिसे मैने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.01.2016 के द्वारा इस वाद के वादी को विक्रय कर दी, कब्जा दे दिया इस विक्रीत

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:09 IST
Reason: SelfAttested

ए. सी. ई. एम. (न्या. दे.)
नवलगढ

जमीन से कोई लेना देना नही है इस विकीत जमीन का नामान्तरकरण संख्या 1083 दिनांक 20.02.2016 को वादी के नाम भर दिया था।

इसके बाद मुकदमा नम्बर 62/2008 निर्णय दिनांक 12.12.2015 अन्तिम डिक्री की पालना में इस जमीन में हिस्सा 7/48 पुनः गलती से मेरे नाम से दर्ज किया गया है जो गलत है क्योकि मैने पहले ही जमीन वादी को बेच दी थी। यह 7/48 हिस्सा मे मेरा नाम हटाकर इसमें वादी का नाम किया जावे जो थोड़ी जमीन 0.0735 हैक्ट दर्ज होने से रह गयी है वह वादी भविष्य मे कब भी जिन लोगो के नाम चढी है उनसे वापिस ले सकेगा। मेरे द्वारा बेची गई सम्पूर्ण जमीन पर कब्जा वादी का है। जमाबंदी में मेरा नाम हटाकर मेरे स्थान पर क्रेता/वादी का नाम 7/48 हिस्से में दर्ज कर दिया जावे। पक्षकारान में आपस में सहमति है, तो वादी द्वारा चाहे गये अनुतोष अनुसार वादी वादी स्वीकार किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 01 को कोई आपति नही होगी।

राजीनामा एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजीनामा तस्दीक किया गया। ग्राम पुजारी की ढाणी जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 में दर्ज खाता संख्या 306 पुराना खाता संख्या 295 में दर्ज भूमि खसरा नम्बर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1007, 1008, 1032, 1033, 1105 कुल किता 10 कुल रकबा 5.15 हैक्टर ग्राम पूजारी की ढाणी तहसील नवनलगढ की सरहद में स्थित है जिसमें दर्ज अनुसार 1/8 हिस्से का रिकार्डेड सह खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 अकेला था एवं जमीन के कब्जे काश्त मे था। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने उपरोक्त खसरा नम्बरान की भूमि में अपना हिस्सा 1/8 का विक्रय वादी को करके इसका रजिस्टर्ड बिचौती पत्र वादी के नाम से उप पंजीयक कार्यालय नवलगढ में दिनांक 01.01.2016 को पंजीबद्ध करवा दिया जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर उसके 1/8 हिस्से का नामान्तकरण संख्या 1083 दिनांक 20.02.2016 को दर्ज होकर इस 1/8 हिस्से की खातेदारी प्रतिवादी संख्या 1 शिशपाल के स्थान पर वादी के नाम से आ गई एवं वादी इस भूमि का रिकार्डेड खातेदार बना है। प्रतिवादी नम्बर 01 द्वारा वाद पत्र पर सहमति भी प्रदान की गई है तथा राजीनाम भी पेश किया गया है। सहमति/राजीनामा के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचत है। लिहाजा वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

:: आदेश ::

मुताबिक राजीनामा वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1001 से 1005 तक एवं खसरा नम्बर 1007, 1008, 1032, 1105 कुल किता 09 कुल रकबा 3.91 में 7/48 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर वादी फुलचन्द पुत्र भागीरथमल जाति अहीर निवासी खेसवा की ढाणी तन चौढाणी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। तद्नुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निण्रय आज दिनांक
12.01.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दमयंती कंवर)
सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक
मजिस्ट्रेट,(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:09 IST
Reason: SelfAttested

(6)

(ओ 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
(फास्ट–ट्रेक) नवलगढ़ मुकाम बईजलास नवलगढ़

पीठासीन अधिकारी : दमयंती कंवर
(आर.ए.एस.)

दावा बाबत घोषणार्थ, दुरूस्ती रिकार्ड
एवं स्थाई निषेधाज्ञा
डिक्री

मुकदमा सं0:– 55/2020 **(फूलचन्द बनाम शीशपाल आदि)**

यह मुकदमा आज वास्ते इफिसला कतई रूबरू **दमयंती कवंर** (आर.ए.एस.), सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट–ट्रेक) नवलगढ बहाजिरी..वकील वादीगण मिनजानिब मुददई रूबरू वकील प्रतिवादीगण मनजानिब मुददालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है।

निर्णय दिनांक **12.01.2022** निर्णय अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाता है कि राजस्व ग्राम पुजारी की ढाणी स्थित भूमि खसरा नम्बर 1001 से 1005 तक एवं खसरा नम्बर 1007, 1008, 1032, 1105 कुल किता 09 कुल रकबा 3.91 में 7/48 हिस्से की सम्पूर्ण भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 के स्थान पर वादी फुलचन्द पुत्र भागीरथमल जाति अहीर निवासी खेसवा की ढाणी तन चौढाणी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नवलगढ को आदेश दिये जाते है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करेतहसीलदार नवलगढ़ को तहरीर जारी हो। खर्चा पक्षकरान अपना–अपना वहन करेगे

जिन.....–..... मुबलिग.....–.....बाबत.....–.....खर्चा इस मुकदमे मे मय सूद बशरह.....–.....फीसदी सालना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....–.....का अदा करे।

बसक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **12** माह **017** सन **2022** को जारी की गई।

(दमयंती कवंर)
ए.सी.ई.एम. (फा.ट्रे.) नवलगढ
मोहर

.मुद्दई	रूपया पैसे	मुद्दासलह	रूपये पैसे
.स्टाम्प अर्जी दावा	04.00	स्टाम्प अर्जी दावा	0.00
वकालतनामा स्टाम्प	02.00	स्टाम्प वकालतनामा	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	–	स्टाम्प अर्जी	–
महनताना वकील	–	महनताना वकील	–
खर्चा गवाहान	–	खर्चा गवाहान	–
फीस कमिश्नर	–	फीस कमिश्नर	–
बाबत इजराय हुक्मनामा	–	बाबत इजराय हुक्मनामा	–
मुतफरिक मिजान	04.00	मुतफरिक मिजान	0.00
कुल	10.00		0.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Damyanti Kanwar
Date: 2022.08.25 12:10:09 IST
Reason: SelfAttested